न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 04.09.2024

प्र0सं0 06 / 24

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–कमलाबाई पुत्री भंवरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकाम प्रार्थी कम 3

2–कत्योबाई बेवा भंवरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकाम प्रार्थी कम 3

3– फूलचन्द पुत्र भंवरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

4–तातो पत्नि सीताराम जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

5–जानकीबाई पत्नि कम्पू जाति बलाई निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकाम प्रार्थी कम 4

6–खच्चू पुत्र सुन्दरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकाम प्रार्थी कम 7,8,9

7–मुकेशकुमार पुत्र खच्चू जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

8–फूलवती पुत्री खच्चू जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

9–सन्ती बेवा खच्चू जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

10–ठाकुरलाल पुत्र सुन्दरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकाम प्रार्थी कम 11,12,13

11–हजारी पुत्र ठाकुरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

12–रघुवीर पुत्र ठाकुरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

13–कला पुत्री ठाकुरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

14–अमरलाल पुत्र सुंदरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

15–लाडो बेवा सुन्दरलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकाम प्रार्थी कम 11,12,13,14

16–माखनलाल पुत्र काशीलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

17–देपाल पुत्र काशीलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

18–जानकी पुत्री काशीलाल जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

19–रमेश पुत्र मुकन्दी जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

20–जीवनलाल उर्फ सुआलाल पुत्र मुकन्दी जाति चमार निवासी कलोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0

प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:44 IST
Reason: SelfAttested

26/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956

निर्णय दिनांक– 26.08.2025

उपस्थित–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एंडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से – एकपक्षीय

प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम शाहपुर पटवार हल्का मुन्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 में आराजी ख0नं0 399 रकबा 17.00 बीघा स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी के मूलखातेदार खेमू पुत्र थाना जाति चमार निवासी कलोनी रहे हैं उनका देहान्त हो चुका है, वारिसान का सजरा प्रथक से पेश है। खेमू की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरकरण संख्या 194 से पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/4, खेमू के मृतक पुत्र सुन्दरलाल के वारिसान ठाकुरलाल खच्चू अमरलाल व मु. लाडो हिस्सा 1/4, कल्लो बेवा खेमू हिस्सा 1/4 तथा मृत पुत्र मुकन्दी के वारिसान पुत्र काशीलाल रमेश जीवनलाल उर्फ सुआलाल बेवा तीजो हिस्सा 1/4 अंकन कर दिया गया। इसके बाद 2045–48 की जमाबंदी बनाते वक्त सर्वथा गलत तोर पर बिना किसी आदेश के भंवरलाल का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/2 व खच्चू अमरलाल पुत्र लाडो बेवा सुन्दरलाल तथा कल्लो बेवा खेमू दोनो का हिस्सा मिलाकर 1/4 गलत दर्ज कर दिया, जबकि इन दोनो का हिस्सा 1/4–1/4 रहा है। 2045–48 की जमाबंदी में कल्लो बेवा खेमू व तीजो बेबा मुकन्दी का नाम इन्तकाल नं0 262 से खारिज का नोट भी अंकित है, इस आधार पर कल्लो बेवा खेमू का हिस्सा 1/4 उनके पुत्र भंवरलाल सुन्दरलाल तथा मुकन्दी व इनके वारिसान के मध्य हिस्सा बराबर से दिया जाना चाहिये था। भंवरलाल के वारिस फूलचन्द श्रीमति मक्खो मुन्नी ने विवादित आराजी में से 1/6 हिस्सा प्रार्थीक्रम 4 को तथा 1/6 हिस्सा प्रार्थीक्रम 5 को विक्रय कर दिया, प्रार्थीक्रम 1 व 2 जो प्रार्थी फूलचन्द की बहिन व मां है का देहान्त हो चुका है और प्रार्थीक्रम 3 ही इनका वारिस है। प्रार्थीक्रम 1 व 2 का हिस्सा 1/6 दर्ज है इन दोनो का देहान्त हो चुका है और प्रार्थीक्रम 3 इनका वारिस होने से पक्षकार बना है, प्रार्थीक्रम 4 का हिस्सा 1/6 तथा प्रार्थीक्रम 5 का हिस्सा 1/6 दर्ज है ठाकुरलाल अमरलाल पुत्र सुन्दरलाल लाडो बेबा सुन्दरलाल का हिस्सा 1/4 दर्ज है, इनमें से ठाकुरलाल व लाडो का देहान्त हो चुका है प्रार्थीक्रम 11,12,13 ठाकुरलाल के तथा प्रार्थीक्रम 11,12,13,14 लाडो के वारिस हैं। माखनलाल देपाल पुत्र जानकी पुत्री काशीलाल हिस्सा 1/12 रमेश जीवनलाल उर्फ सुआलाल पुत्र मुकन्दी हिस्सा 1/6 दर्ज है। अतः प्रार्थीक्रम 1,2 व 4,5 का हिस्सा [illegible] प्रार्थीक्रम 6,10,14,15 का हिस्सा 1/3, प्रार्थीक्रम 16 व 18 का हिस्सा 1/[illegible] तथा प्रार्थीक्रम 19 व 20 का हिस्सा 2/9 अनुसार दुरूस्त के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] की तलबी की गई। तहसीलदार शाहावाद ने जबाव पेश कर कमलाबाई पुत्री व कत्योबाई बेवा भंवरलाल का हिस्सा 1/9, तातो पत्नि सीताराम हि. 1/9, जानकी पत्नि कम्पू हिस्सा 1/9, खच्चू ठाकुरलाल अमरलाल पुत्र लाडो बेवा सुन्दरलाल हिस्सा 1/3, माखनलाल देपाल

26/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

पुत्र जानकी पुत्री काशीलाल हिस्सा 1/9, रमेश जीवनलाल उर्फ सुआलाल पुत्र मुकन्दी हिस्सा 2/9 से दर्ज किये जाने का कथन किया।

वकील प्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी ग्राम शाहपुर सम्वत 2077–80 में विवादित आराजी प्रार्थीक्रम 1 व 2 के नाम हिस्सा 1/6, प्रार्थीक्रम 4 के नाम हिस्सा 1/6, प्रार्थीक्रम 5 के नाम हिस्सा 1/6, प्रार्थीक्रम 6,10,14,15 के नाम हिस्सा 1/4, प्रार्थीक्रम 16,17,18 के नाम हिस्सा 1/12, प्रार्थीक्रम 19,20 के नाम हिस्सा 1/6 से दर्ज है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा अनुसार मूलखातेदार खेमू के 3 पुत्र क्रमशः मुकन्दी सुन्दरलाल भंवरलाल तथा बेवा कल्लो का होना बताया गया है। प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत 2037–40 के अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी ख0नं0 399 रकबा 17.00 बीघा खेमू पुत्र थाना के खाते दर्ज रही है तथा खेमू की मृत्यु के बाद उक्त आराजी फोती नामान्तरकरण नंबर 194 से खेमू के मृत पुत्र सुन्दरलाल के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4, पुत्र भंवरलाल के नाम हिस्सा 1/4, मृत पुत्र मुकन्दी के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4 तथा बेवा कल्लो के नाम हिस्सा 1/4 से दर्ज की गई है, जो सही है। जमाबंदी 2045–48 में भंवरलाल का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/2 व खच्चू अमरलाल पुत्र लाडो बेवा सुन्दरलाल तथा कल्लो बेवा खेमू दोनो का हिस्सा संयुक्त कर 1/4 सर्वथा गलत दर्ज किया गया है और यहीं से इन्द्राज गलत होना पाया जाता है, इसी जमाबंदी में खातेदार कल्लो का नाम खाते से खारिज किये जाने का नोट अंकित है, खातेदार कल्लो का नाम खाते से खारिज होने पर कल्लो का हिस्सा 1/4 विरासतन शेष खातेदारान में मर्ज किया जाना चाहिये था और तब सुन्दरलाल के वारिसान का संयुक्त हिस्सा 1/3, भंवरलाल का हिस्सा 1/3 तथा मुकन्दी के वारिसान का संयुक्त हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना चाहिये था, जो नहीं किया गया है, जिससे खातेदारान के हिस्सों में विसंगति आ गई है, जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी ग्राम शाहपुर पटवार हल्का मुन्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 की आराजी ख0नं0 399 रकबा 17.00 बीघा का खाता दुरूस्त कर प्रार्थीक्रम 1–कमलाबाई 2–कत्योबाई बेवा भंवरलाल हि. 1/9, प्रार्थीक्रम 4–तातो पत्नि सीताराम हि. 2/9, प्रार्थीक्रम 6–खच्चू 10–ठाकुरलाल 14–अमरलाल पुत्र सुन्दरलाल 15–लाडो बेवा सुन्दरलाल हिस्सा 1/3, प्रार्थीक्रम 16–माखनलाल 17–देपाल पुत्र काशीलाल 18–जानकी पुत्री काशीलाल हिस्सा 1/9, प्रार्थीक्रम 19–रमेश 20–जीवनलाल उर्फ सुआलाल पुत्र मुकन्दी हिस्सा 2/9 दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैशलशुमार होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.09.20 18:09:44 IST
Reason: SelfAttested

26/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद